तारीख हुक्म	कार्यालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	प्र०सं० 302/2024 प्रा०पत्र हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज सुशीला देवी बनाम जीवराज-करेड़ा	
9/12/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषकगण द्वारा मौखिक कार्य स्थगन बहिष्कार रखा व पत्रावली 17/02/25 पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़	
17/2/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० प्रकरण मे वकील प्रार्थी ने कथन किया कि मूल प्रा०पत्र 419/2023 के निर्णय हो जाने का निवेदन करते हुए कथन किया कि उक्त प्रा०पत्र के आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नही है वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया उक्त प्रा०पत्र का अवलोकन किया प्रकरण के मूल प्रा०पत्र 251A के निर्णय दिनांक 20/1/25 प्र०सं. 419/2023 के निर्णित हो जाने से प्रार्थी के प्रा०पत्र को अब आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नही होने से प्रार्थी के प्रा०पत्र की कार्यवाही इसी स्तर पर खारीज किया जाता है प्रकरण मे पूर्व मे जारी एकपक्षीय अभ्यावेदन निष्पादित दिनांक 05/09/2024 को स्वतः निरस्त माना जावे। पत्रावली के सूत्र शुमार होकर उर्जा नम्बर से बन्द हो। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़	